सुनहरा भविष्य विकास समिति

स्मृति-पत्र

(1) संस्था का नाम - सुनहरा भविष्य विकास समिति

(2) संस्था का पूरा पता - 1N/5B तिलक नगर, अल्लापुर, जनपद-इलाहाबाद।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत वर्ष

(4) संस्था का उद्देश्य-

1-शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगो, अल्पसंख्यकों पिछड़े दलितों एवं निर्बल लोगों को निःशुल्क फिजियोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध कराकर उनको आत्म निर्भर बनाने हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं को मुहैया कराना।

2-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले बालक, बालिकाओं, महिलाओं पुरूषों कारीगरों श्रमिको एवं किसानों को भौतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी मुहैया कराना एवं सामाजिक शैक्षिक, नैतिक, अध्यात्मिक, चारित्रिक विकास करना।

3-भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों के विदेशी दान, संस्थाओं से दान/अनुदान प्राप्त करना एवं उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके।

4-समय-समय पर प्रदर्शनी, सेमिनार, प्रतियोगिता, सम्मेलन, प्रतियोगिता, कैम्प एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना।

5-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, मद्यनिषेध, कुष्ठ निवारण एवं स्वच्छता सम्बंधी कार्यक्रमों में सहयोग कराना।

Ankus Dubey

Amit Tiwari

Vishal Upadhyay

6-दैवी आपदा, सुरक्षा एवं भूकम्प पीड़ितों की सहायता करना।

7-राष्ट्रीयता साहित्यिक एवं सामाजिक भावनाओं के विकास के लिए पुस्तकें, पम्पलेट एवं फोल्डरों का निःशुल्क प्रकाशन।

8-बालक/बालिकाओं के सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक एवं कलात्मक विकास हेतु स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, संस्कृत पाठशाला, मदरसा आदि की स्थापना एवं उनका प्रबन्ध करना।

9-तकनीकी, कम्प्यूटर, संस्थान स्थापित कर विशेषकर विकलांगो,वंचितों ,बालिकाओं सहित समग्र समाज के पठन-पाठन की व्यवस्था करना।

10-ग्राम्य विकास हेतु आवश्यक संसाधन जुटाकर ग्रामीण युवाओं को सृजनशील दिशा में ज्ञान उपलब्ध कराना।

11-विज्ञान साहित्य एवं कला के विकास हेतु शिक्षा एवं प्रयोग ज्ञान, जन सामान्य को प्रदान करना एवं प्रचार प्रसार करना।

12-कला, विज्ञान, तकनीकि, पत्रकारिता एवं अन्य साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता और पुरस्कार प्रदान करना।

13-जन सामान्य हेतु पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना करना।

14-देश की महान विभूतियों के कृतित्व, व्यक्तित्व एवं समाज के विकास हेतु किये गये कार्यों एवं विचारों का प्रचार प्रसार करना।

15-कम्प्यूटर, प्रशिक्षण हेतु संस्थान की स्थापना करना।

16-मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आमजनों के हितार्थ कार्य करना।

17-समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के शोषित एवं दैवी आपदा, भूकम्प, सूखा, बाढ़ के लिए अभियान चलाना।

18-पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाना।

19-निःशुल्क परिवार नियोजन, एड्स एवं नेत्रों की जांच व आपरेशन के लिए समय-समय

Vithal Upadhyay

पर शिविर लगाना एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर लगाना।

20-देश की विपन्न, पिछड़ी महिलाओं का आर्थिक/सामाजिक/शैक्षिक स्तर उठाने के लिये कार्य करना।

21-देश के युवाओं एवं बेरोजगारों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, संगीत, गृहकला, शिल्पकला, टी०वी०, रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र, खोलना।

22-समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने के लिए साहित्यक, वैज्ञानिक, प्रतियोगी पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं निःशुल्क प्रकाशित करना।

23-धर्मार्थ औषधालय की स्थापना तथा उसका प्रबन्ध करना।

24-साक्षरता अभियान, प्रौढ़शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना तथा उसका प्रबन्ध करना।

25-वयोवृद्ध, अनाथ एवं असहाय लोगों की सेवा करना तथा शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांगो) बच्चों के पठन-पाठन एवं विकास के लिए व्यवस्था करना।

26-फिजियोथैरेपी छात्रों के भविष्य एवं कल्याण से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण कराने हेतु प्रयास करना।

27-आवश्यकतानुसार समय-समय पर उपसमितियों का गठन करना एंव संचालन करना।

28-सोसाईटी द्वारा उपसमिति का गठन कर फिजियोथैरेपी के क्षेत्र में कार्य करने वाले छात्रों एवं संस्थाओं के उन्नयन विकास हेतु कार्य करना।

29-एड्स जैसी घातक बीमारी के बारे में लोगो को जानकारी दिलाना एवं निःशुल्क चिकित्सा, दवाओं आदि को उपलब्ध कराना।

30-पशु, पक्षी संरक्षण, मत्स्य संरक्षण एवं पालन हेतु कार्य करना।

31-अन्य वे सभी कार्य करना जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० की धारा २० के अन्तर्गत आते है।

Ankush Dubey

Vishal Upadhyay

(5) संस्था के प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनकी संस्था के द्वारा स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौपा गया है।

क्रम० संख्या	नाम/पिता का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	पंकज कुमार सिंह विशेन पुत्र श्री रघुनाथ सिंह	अध्यक्ष	ग्राम/पोस्ट हाफिजपुर,आजमगढ	अध्ययन एवं सामाजिक कार्य
2	पंकज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा	उपाध्यक्ष	124/2Aम्योराबाद इलाहाबाद	अध्ययन एवं सामाजिक कार्य
3	आशुतोष त्रिपाठी पुत्र श्री राकेश कुमार त्रिपाठी	महासचिव	1N/5B तिलक नगर अल्लापुर इलाहाबाद	अध्ययन एवं सामाजिक कार्य
4	कुमार गौरव सोनी पुत्र डॉ०जी०सी०सोनी	संयुक्त सचिव	निकट SBI जलालपुर अम्बेडकरनगर	अध्ययन एवं सामाजिक कार्य
5	विशाल उपाध्याय पुत्र श्री रमेश चन्द उपाध्याय	कोषाध्यक्ष	ग्राम/पोस्ट कन्धी तेजीबाजार जौनपुर	अध्ययन एवं सामाजिक कार्य
6	अंकुश दुबे पुत्र श्री अशोक कुमार दुबे	सदस्य	90C/1A बाघम्बरी गद्दी अल्लापुर इलाहाबाद	सामाजिक कार्य
7	अमित कुमार तिवारी पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी	सदस्य	ग्राम/पोस्ट तिवारीपुर वाराणसी	अध्ययन एवं सामाजिक कार्य

Ankus Dubey

Amit

Vishal Upadhyay

(6) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्नक नियममावली के अनुसार सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अन्तर्गत एक सोसायटी का गठन किया है।

नाम	पद	पता	हस्ताक्षर
पंकज कुमार सिंह बिशेन	अध्यक्ष	ग्राम/पोस्ट हाफिजपुर, आजमगढ़	[signature]
पंकज कुमार मिश्रा	उपाध्यक्ष	124/2A म्योराबाद इलाहाबाद	[signature]
आशुतोष त्रिपाठी	महासचिव	1N/5B तिलक नगर इलाहाबाद	[signature]
कुमार गौरव सोनी	संयुक्त सचिव	निकट SBI जलालपुर अम्बेडकरनगर	[signature]
विशाल उपाध्याय	कोषाध्यक्ष	ग्राम/पोस्ट कन्धी तेजीबाजार जौनपुर	[signature]
अंकुश दुबे	सदस्य	90C/1A बाघम्बरी गद्दी अल्लापुर इलाहाबाद	[signature]
अमित कुमार तिवारी	सदस्य	ग्राम/पोस्ट तिवारीपुर वाराणसी	[signature]

[signature]

(आशुतोष त्रिपाठी)

महासचिव

दिनांक: 14/7/2005

सत्यप्रतिलिपि

[signature]

7-2-06

सुनहरा भविष्य विकास समिति 1N/5B तिलक नगर अल्लापुर इलाहाबाद की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2005-06

क्रम० संख्या	नाम/पिता का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	चन्द्रनाथ त्रिपाठी पुत्र स्व०श्री रामकैलाश त्रिपाठी	अध्यक्ष	ग्राम/पोस्ट जमुनीपुर,जमुनीपुर, इलाहाबाद	सामाजिक कार्य
2	पंकज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा	उपाध्यक्ष	124/2A म्योराबाद इलाहाबाद	अध्ययन एवं सामाजिक कार्य
3	आशुतोष त्रिपाठी पुत्र श्री राकेश कुमार त्रिपाठी	महासचिव	1N/5B तिलक नगर अल्लापुर इलाहाबाद	अध्ययन एवं सामाजिक कार्य
4	देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० श्री रामयश पाण्डेय	संयुक्त सचिव	ग्राम- बेलवार,पो०-दुबावल इलाहाबाद	सामाजिक कार्य
5	विशाल उपाध्याय पुत्र श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय	कोषाध्यक्ष	ग्राम/पोस्ट कन्शी तेजीबाजार जौनपुर	अध्ययन एवं सामाजिक कार्य
6	अनुराधा पत्नी श्री राजकुमार	सदस्य	100A करबला इलाहाबाद	सामाजिक कार्य
7	अमित कुमार तिवारी पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी	सदस्य	ग्राम/पोस्ट तिवारीपुर वाराणसी	अध्ययन एवं सामाजिक कार्य

Atripath.

Amit tiwari

Amishra

Vishal Upadhyay

20-3-06

नियमावली

संस्था का नाम - सुनहरा भविष्य विकास समिति

संस्था का पूरा पता - 1N/5B तिलक नगर, अल्लापुर, जनपद-इलाहाबाद।

संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत वर्ष

संस्था का उद्देश्य - स्मृति पत्र के अनुसार

इस संस्था के उद्देश्यों में आस्था व विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति संस्था का सदस्य बनने के लिए महासचिव के नाम से लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। सभी प्रकार के सदस्य/संस्थापक की लिखित स्वीकृति व निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करने पर ही बनाये जा सकेगें।

(1) संस्थापक सदस्यः-

स्मृति पत्र में उल्लिखित संस्थापक ही संस्थान के संस्थापक सदस्य है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य दूसरा व्यक्ति संस्थापक सदस्य नही है। यदि कोई व्यक्ति भविष्य में पांच वर्षो के अन्दर संस्थापक सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए संस्था के सहयोग स्वरूप दस हजार रूपया या उससे अधिक की एक मुश्त धनराशि का सहयोग संस्था को प्रदान करना होगा किन्तु सदस्य बनने हेतु संस्था के महासचिव सहित कम से कम तीन सदस्यों के अनुमोदन आवश्यक होंगे।

(2)आजीवन सदस्यः-

संस्थापक सदस्यों के अतिरिक्त जो व्यक्ति २ हजार रूपया या उससे अधिक की धनराशि संस्था को एक बार में एक मुश्त दान देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

Vishal Upadhyay

(3)साधारण सदस्यः-

जो व्यक्ति ११००/- रुपया प्रवेश शुल्क तथा प्रत्येक वर्ष ५००/- रुपया वार्षिक चन्दा संस्था को प्रदान करेंगे वे संस्था के पांच वर्षो के लिए सामान्य सदस्य होंगे सदस्यता प्रपत्र पर संस्थापक सदस्यों में से किसी एक का प्रस्तावक के रुप में हस्ताक्षर अनिवार्य होगा तथा पदाधिकारियों की अनुशंसा पर अन्तिम फैसला अध्यक्ष,महासचिव ही करेंगे ।

(6) सदस्यता की समाप्तिः-

निम्नांकित कारणों में से कोई भी एक कारण पाये जाने पर किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

1)मृत्यु हो जाने पर।

2)संस्था विरोधी कार्य करने पर।

3)लगातार तीन बैठकों में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर।

4)त्याग पत्र देने पर तथा उसको संस्थापक द्वारा स्वीकार किये जाने पर आजीवन व सामान्य दोनों वर्गो की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

5)सदस्यता समाप्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय महासचिव का ही मान्य होगा।

6)सदस्यता शुल्क प्रतिवर्ष न जमा करने पर ।

(7)संस्था के अंग-

(अ) साधारण सभा

(ब) प्रवंधकारिणी समिति

(अ) साधारण सभाः-

१. गठन-

साधारण सभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिला कर किया जायेगा।

Atripathi

Vishal Upadhyay

२. बैठक-

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी महासचिव की स्वीकृति से बुलायी जा सकती है।

३. सूचना-

साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना १५ दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना ७ दिन पूर्व तथा आपातकालीन बैठक महासचिव द्वारा २४ घन्टे की पूर्व सूचना पर बुलायी जा सकेगी।

४. गणपूर्ति-

कुल सदस्यों की २/३ उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी किन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठकों के लिए विषय व एजेण्डा पूर्ववतः रहने की दशा में कोरम का प्रतिबंध नहीं होगा।

५. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि-

संस्था अपना वार्षिक अधिवेश प्रतिवर्ष सत्र की समाप्ति पर आयोजित करेगी जिसकी तिथि प्रबन्ध कारिणी समिति अपने बहुमत से तय करेगी अथवा इसकी घोषणा महासचिव द्वारा की जायेगी।

६. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य-

(अ) समिति के सभी सदस्यों को अपना मत देने का अधिकार होगा परन्तु उन्हें मत देने व प्रबन्धकारिणी समिति के चुनाव में भाग लेने व प्रत्याशी बनने के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनका सदस्यता शुल्क नियमित रूप से जमा हो। शुल्क नियमित रूप से न जमा

Atripathi

Vishal Upadhyay

होने अथवा संस्था के विरुद्ध कार्य करने का दोष सिद्ध होने की दशा में किसी भी सदस्य को मतदान या प्रत्याशी होने से रोका जा सकता है।

(ब) संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट अनुमोदित करना।

(स) संस्था के नियमों व विनियमों में परिवर्तन, परिर्वधन, संशोधन आदि साधारण सभा के अनुमोदनोपरान्त करना।

(द) प्रवंधकारिणी समिति का चुनाव करना।

७. (ब) प्रबन्धकारिणी समिति-

१. गठन-

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों में से किया जायेगा। प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की कुल संख्या निम्नवत होगी।

१. अध्यक्ष	-	एक
२. उपाध्यक्ष	-	एक
३. महासचिव	-	एक
४. संयुक्तसचिव	-	एक
५. कोषाध्यक्ष		एक
६. सदस्य	-	दो

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी समिति के कुल पदाधिकारी/सदस्यों की संख्या 7 होगी।

संस्था विरोधी कार्य करने वाले सदस्यों को मताधिकार एवं सदस्यता से वंचित करने का अधिकार साधारण सभा के बहुमत को होगा।

Adripath.

Vishal Upadhyay

२. बैठक- सामान्य व विशेष

प्रवन्धकारिणी समिति के सामान्य वैठके प्रति तिमाही व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी महासचिव द्वारा वुलायी जा सकती है।

३. सूचना अवधि-

प्रवंध कारिणीसमिति की सामान्य वैठकों की सूचना ७ दिन पूर्व व विशेष वैठक की सूचना २४ घन्टे पूर्व देना अनिवार्य होगा।

४. गणपूर्ति-

कुल सदस्यों २/३ उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित वैठकों के लिए कोरम का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

५. रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि-

प्रवंधकारिणी समिति में हुए आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति करने का अधिकार शेष प्रवन्धकारिणी समिति के सदस्यों के २/३ बहुमत से होगा। लेकिन इसके लिए महासचिव स्वकृति अनिवार्य होगी। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल शेष अवधि तक का ही होगा तथा यह साधारण सभा की वरिष्ठता सूची के आधार पर होगी ।

६. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य-

१ समिति के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करना।

२ एक या इससे अधिक संस्थानों अथवा स्मृति पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के संस्थानों की स्थापना करना। उनके लिए उपसमितियों का गठन करना तथा उनके संचालन एवं प्रबन्ध आदि का उत्तरदायित्व ग्रहण करना।

३ आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना।

४ संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा स्वामित्व व व्यवस्था करना।

५ महासचिव के निर्णयानुसार कार्य करना।

६ संस्था के विकास के लिए वह सभी कार्य करना जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत विधि मान्य एवं जनकल्याणकारी हों।

७. कार्यकाल-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच साल का होगा परन्तु पदाधिकारी का कार्यकाल अपने उत्तराधिकारी चुने जाने तक का ही होगा। महासचिव संस्था के हित में प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल ६ माह तक का घटा या बढ़ा सकते है।

८. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य-

१. अध्यक्ष-

समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों की तिथियों का अनुमोदन, स्थगन, निरस्तीकरण, महासचिव की सहमति एवं स्वीकृति के आधार पर करना तथा आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना अन्य वह सभी कार्य करना जो संस्था के लिए हितकारी व विधिमान्य हों।

२. उपाध्यक्ष-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकार व कर्तव्यों का पालन व प्रयोग करना तथा सामान्य परिस्थितियों में अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग प्रदान करना तथा संस्था के हित के लिए कार्य करना।

३. महासचिव -

१ महासचिव संस्था का सर्वोच्च प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारी होगा तत्सम्वन्धी सम्बन्धी समस्त अधिकार उसमें निहित होगा। इस संस्था का महासचिव सर्वोच्च पदाधिकारी होगा तथा संस्था के समस्त प्रस्ताव व निर्णय उसकी अनुमति के बाद ही प्रस्तावित व कार्यान्वित हो सकेंगे जब तक महासचिव की सहमति नहीं प्राप्त होगी तब तक संस्था के लिए, लिए गये निर्णय को कार्यान्वित करने का अधिकार किसी सदस्य/पदाधिकारी को नहीं होगा।

२ महासचिव को संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करने व उसके विनियोग करने तथा विनियम करने का अधिकार होगा व इससे सम्बन्धित समस्त अनुबन्धों, शर्त नामों एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करेगा।

३ महासचिव को किसी भी सदस्य को शामिल करने या हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।

४ आपात कालीन स्थिति की घोषणा करना एवं आपात कालीन परिस्थितियों में संस्था के लिए आपात कालीन निर्णय ले सकता है।

५ संस्था के समस्त वैतनिक एवं अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, नियन्त्रण तथा उनके क्रिया कलापों पर निगरानी रखना और समय-समय पर उनसे संस्था को अवगत कराना।

६ संस्था के समस्त बिलो, वाऊचरों, का भुगतान करना।

Abhipsth...

Vishal Upadhyay

७ शिक्षा संहिता एवं शिक्षा विभाग द्वारा महासचिव को मिलने वाले समस्त अधिकार महासचिव में निहित होंगे, संस्था के हितार्थ सभी कार्य करना, समस्त प्रकार के विभागों-अनुभागों से दान अनुदान व अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले धनों की प्राप्ति करना तथा उसे संस्था के खाते में जमा करना।

८ संस्था का धन निकालने का अधिकार महासचिव में निहित होगा तथा संस्था का अनुमानित वार्षिक बजट बनाने व वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए महासचिव अधिकृत होगा।

९ संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध होने वाली समस्त अदालती कार्यवाहियां महासचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

१० पारित प्रस्तावों का कार्यान्वयन करना।

४. संयुक्त सचिव-

महासचिव के सहयोगी के रूप में कार्य करेगा तथा महासचिव की अनुपस्थिति में महासचिव द्वारा लिखित रूप से सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करेगा।

५. कोषाध्यक्ष-

सदस्यों का सदस्यता शुल्क संस्था के खाते में जमा करना, आय व्यय का मद व विधिवार अंकन करना, संस्था के आडिट् हेतु प्रपत्र तैयार करना तथा महासचिव द्वारा संस्था के हित में सौंपे गये कार्यों को करना।

९. संस्था का कोष-

संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा होगा। खाता का संचालन महासचिव के हस्ताक्षर से किया जायेगा। कोष के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार महासचिव को होगा।

१०. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण-

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष साधारण सभा द्वारा निर्वाचित/नियुक्त आडिटर/लेखानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

११. अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व-

संस्था की समस्त अदालती कार्यवाहियों का संचालन महासचिव के नाम से या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा की जायेगी। विशेष मामलों में अदालती कार्यवाही का निस्तारण महासचिव के निर्देशानुसार ही होगा। महासचिव को अधिकार होगा कि वह कानूनी कार्यवाही करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर दे अथवा अपना कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त कर दे।

१२. संस्था द्वारा ऋण के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व-

संस्था के द्वारा अथवा संस्था के ऊपर किसी भी प्रकार के ऋणों के भुगतान का उत्तरदायित्व सभी सदस्यों पर सामूहिक रूप से रहेगी। जब तक संस्था के ऋणों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक सभी सदस्यों की चल अचल सम्पत्ति सम्यक रूप से ऋणों के सम्बन्ध में बंधक करना अनिवार्य होगा।

सत्य प्रतिलिपि

Anirudh

Vishal Upadhyay

१३. संस्था के अभिलेख

१ सदस्यता रजिस्टर

२ कार्यवाही रजिस्टर

३ स्टाक रजिस्टर

४ कैश बुक आदि।

५ सूचना रजिस्टर

१४. संस्था का विघटन-

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन के अधिनियम की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांकः- 14/7/2005

(आशुतोष त्रिपाठी)

महासचिव

सत्यप्रतिलिपि

20-2-06

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AA 324346

सुनहरा भविष्य विकास समिति

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AA 324362

[illegible] भविका विकास समिति

[illegible] 20042

[illegible]

20-7-06

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AA 324347

सुनहरा आजीविका विकास समिति

पंजीकरण संख्या 20042

सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद
16-2-06

संख्या– 2344

दिनांक– 29.7.10

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण – पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या 522 /2010–11

फाइल संख्या Al-20642

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सुनहरा भविष्य विकास समिति 1N/513 तिलक नगर, मलकपुर जनपद-इलाहाबाद।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या 370/2005-06

दिनांक 27-7-05 को दिनांक 27-07-10 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

200/- रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 29.7.10

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

संख्या- 350   दिनांक- 20/10/15

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण – पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या–920/2015–16

फाईल संख्या AL-20042

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **सुनहरा भविष्य विकास समिति**

1एन/5बी, तिलक नगर, अल्लापुर, जनपद– इलाहाबाद

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या– 370/2005–06

दिनांक 27.07.2005 को दिनांक 27.07.2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1000/– रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 30.09.2015

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र – 3 (नियम 6 देखिये)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

संख्या 1638/2006 दिनांक 4/12/06

प्रमाणित किया जाता है कि सुनहरा भविष्य विकास समिति, (संस्था का नाम) जो कि रजिस्ट्रीकरण संख्या 37-0-5-06 दिनाँक 27/?/05 द्वारा उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रीकरण की नियमावली, 1998 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट एक सोसाइटी/लोक न्यास/भारतीय रेडक्रास सोसाइटी या इसकी शाखा/कम्पनी/एक संगठन है। जिसे निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके मेरे द्वारा सम्यकरूप से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है। यह प्रमाण पत्र दिनांक 04/12/2006 से पाँच वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगा और दिनांक 03/12/2011 तक विधिमान्य रहेगा और यह प्रमााण पत्र अन्तरणीय नहीं होगा।

यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर द्वारा [illegible] पर आज दिनांक 04/12/06 सन् दो हजार ✗ को निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन दिया जाता है :–

(1) संस्था निम्नलिखित को संचालित करेगी :–

(क) निःशक्त व्यक्तियों की भिन्न–भिन्न श्रेणियों के लिए शैक्षिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वासन योजनाएं।

या

(ख) सहायक उपकरणों के क्रय/साधित्रों के लिए निःशक्त व्यक्तियों को सहायता की योजनाएं

या

(ग) कुष्ठरोग से मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए योजनाएं

(घ) प्रमस्तिष्कीय अंगघात और मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के लिए योजनाएं

या

(ङ) विकलांग बच्चों के विशेष प्रकार के विद्यालयों की योजना।

या

(2) संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता 4N/5B, शिवकुटी, अल्लापुर इलाहाबाद (उ०प्र०)

(3) संस्था की शाखा/इकाई का पूरा पता जहाँ इसे चलाया जायगा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

(4) संस्था की भौतिक क्षमता 25 (पच्चीस)

(5) संस्था का वर्तमान सचिव/प्रबन्धक श्री आशुतोष त्रिपाठी

(6) संस्था उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 में विनिर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करेगी और मानक बनाये रहेगी।

सक्षम प्राधिकारी/
निदेशक विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
(मुहर)

सुनहरा भविष्य विकास समिति

IN/5B तिलक नगर अल्लापुर इलाहाबाद

प्रबन्धकारिणी समिति

वर्ष 2018–19

क्र0 सं0	नाम व पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1.	श्री चन्द्रनाथ त्रिपाठी पुत्र स्व0 राम कैलाश त्रिपाठी	अध्यक्ष	ग्राम/पोस्ट जमुनीपुर, इलाहाबाद	समाजसेवा
2.	श्री पंकज कुमार मिश्र पुत्र श्री सुभाष चन्द्र मिश्र	उपाध्यक्ष	124/2A म्योराबाद इलाहाबाद	समाजसेवा
3.	श्री आशुतोष त्रिपाठी पुत्र श्री राकेश कुमार त्रिपाठी	महासचिव	IN/5B तिलक नगर अल्लापुर इलाहाबाद	समाजसेवा
4.	श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 रामयश पाण्डेय	संयुक्त सचिव	ग्राम बेलवार पो0 [illegible] इलाहाबाद	समाजसेवा
5.	श्री विशाल उपाध्याय पुत्र श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय	कोषाध्यक्ष	ग्राम/पो0 [illegible] राजा बाजार जौनपुर	समाजसेवा
6.	श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री राजकुमार	सदस्य	100ए करबला इलाहाबाद	समाजसेवा
7.	श्री अजय यादव पुत्र श्री विजय बहादुर यादव	सदस्य	25/32सी स्टैनली रोड इलाहाबाद	समाजसेवा

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद
03.07.18

Vishal Upadhyay